

10.5.22

पत्तावली पेश हुई। कलेक्टर कार्यालय उपस्थित प्रार्थी
के अप्रार्थियों को व्यायाम सभामुक्त करवा कर
आवाजें करावाई गई। जिसे भी कोई उपस्थित
नहीं हुए। और जा-ये अप्रार्थियों को सामील
है। जोहिस दिने भये।

दस्ता: पत्तावली अप्रार्थियों को जोहिस तलकामा
पेश नही करने पर अन्तर्गत आदेश 09 नियम 05
के तहत कार्रवाई की जाती है। पत्तावली फासल
शुभार दोनार नम्बर से नाम दोनार दोनार
दफ्तार हो। निर्णय लुके व्यायाम सभे सुनया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँबर जिला

